कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं (राज0)

क्रमांक/स्थापना/2024/ 1063 दिनांक :– 18.01.2024

कार्यालय आदेश

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/आशुलिपिक/2023/1515 दिनांक 28.07.2023, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/IA-4(i)(a)/151/22/62 दिनांक 16.01.2024 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थान नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः 06 माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ. 15 (1) एफ.डी. (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23700/– रूपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर झुंझुनूं न्यायक्षेत्र में नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र.स.	नाम अभ्यार्थी	जन्मतिथि	मैरिट नम्बर	रोल न.	लिंग	मूल श्रेणी	आवंटित श्रेणी
1.	सुश्री रश्मि शर्मा	04.07.1996	69	37218	महिला	सामान्य	सामान्य
2.	श्री गगनदीप	31.12.1997	75	25930	पुरूष	EWS	सामान्य
3.	श्री योगेश स्वामी	02.04.1994	177	43907	पुरूष	ओबीसी	ओबीसी

1. सभी नियुक्तियॉ आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय/द्वितीय की संयुक्त परीक्षा– 2023 के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णायाधीन रहेंगी।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य व व्यवहार संतोषप्रद होने पर उपरोक्त वेतनमान (पे – मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों के सम्बन्धित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गयी सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होगें।
7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के सात दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. नव नियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय – समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होगें।

---2

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं

10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(देवेन्द्र दीक्षित)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं

क्रमांक/स्थापना/2024/ 1064-1073 दिनांक :- 18.01.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है :-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. लेखा शाखा
3. स्थापना शाखा।
4. व्यक्तिगत पत्रावली श्री/सुश्री ....
5. सिस्टम ऑफिसर, अदालत हाजा को उक्त अभ्यार्थीगण को अंकित मोबाईल नम्बर व मेल पर सूचित करने व साईट पर अपलोड करने हेतु।
6. व्यक्तिगत सुश्री रश्मि शर्मा पुत्री श्री दलीप शर्मा निवासी 20 प्रथम ब्लॉक, पुरानी आबादी जेसीटी मिल, गेट नम्बर 03 श्रीगंगानगर मो0 न0 8963010195 ईमेल sharmarashmi0054@gmail.com
7. व्यक्तिगत श्री गगनदीप पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी वार्ड नम्बर 04/06 गली नम्बर 01, शक्ति नगर, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर मो0 न0 9672420493 ईमेल gagandeepkhatri97@gmail.com
8. व्यक्तिगत श्री योगेश स्वामी पुत्र श्री पुखराज स्वामी निवासी जस्सुसर गेट के बाहर, मोचियों की बगेची के पास, बीकानेर मो0न0 7568466640 ईमेल yogiswami1994@gamil.com

(देवेन्द्र दीक्षित)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं